in place. Sir, before the model code of conduct was in place, he was travelling to his own place and वह सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम के लिए उस टाइम के राजस्थान के मुख्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये लोग उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए गए थे - उस व्यक्ति ने वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने का काम किया है। क्या यह सही है, इस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। सर, यह ओवरऑल इतना ही दिखाता है, इनकी मंशा यही है। This shows that their party attitude is against *Kisan,* against tribals, against Jat and a Member who is holding the second highest position in the largest democracy. तो आज बहुत गलत तरीके से पार्लियामेंट प्रिमाइसेस में यह ड्रामा अनफोल्ड हुआ है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडी एलायंस, ...(**व्यवधान**)... घमंडिया एलायंस के जो लोग हैं, उन लोगों को चेयर से माफी माँगनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप मिमिक्री करते हैं! ...(**व्यवधान**)... Subsequently in the function, while exchanging the pleasantries with the other constitutional authorities, the Vice-President was again *..(Interruptions)..* They tried to belittle the Vice-President's image. *..(Interruptions)..* This is highly condemnable. Congress leaders attacked the Prime Minister because the Prime Minister comes from a poor family. *..(Interruptions)..* The Prime Minister comes from the OBC community. *..(Interruptions)..* That is why their attitude is against tribals, against *kisans*, Jats and against OBC community. *..(Interruptions)..* They come from the very, very poor community. *..(Interruptions)..* They think that only one single family deserves all these positions. *..(Interruptions)..* तृणमूल कांग्रेस पार्टी का भी यही एटिट्यूड है। ...(**व्यवधान**)... सर, इसीलिए, I strongly condemn this. *..(Interruptions)..* If some good sense prevails on them, they should apologise in this House on behalf of those Members and one of the so-called senior Members of the Congress Party. *..(Interruptions)..* Sir, I strongly condemn this attitude of both the Members, Mr. Kalyan Banerjee and Mr. Rahul Gandhi, and overall जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इन लोगों का attitude towards the Vice-President, who is also the esteemed Chairman of this House. *..(Interruptions)..* This is the most insulting and derogatory manner in which they have behaved in the premises of the Parliament. I strongly condemn it. The entire country is watching it, Sir. The entire country is condemning this attitude. *..(Interruptions)..* I once again strongly condemn this. *..(Interruptions)..*

GOVERNMENT BILLS -*Contd.*

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Shri Hardeep Singh Puri to move a motion for consideration of the

National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Amendment Bill, 2023. ..(Interruptions)..

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.
..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I shall now call upon Members whose names have been received for participation in the discussion. ..(Interruptions).. Shri Baburam Nishad; you have three minutes. *..(Interruptions)..*

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 का समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... निश्चित रूप से आज दिल्ली क्षेत्र के लिए यह जो बिल आया है, इससे मोदी जी की विकास की गारंटी की गाड़ी सातों लोक सभा के पूरे क्षेत्र में दौड़ी है। ...(**व्यवधान**)... विकास की यह जो गाड़ी है, मैं कह सकता हूँ कि इसके द्वारा यहाँ झुग्गी वालों, झोपड़ी वालों, मजदूर, पूरे देश से जितने भी लोग यहाँ स्थापित हैं, उनके विकास के लिए, कानून के राज के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनकी दवाई के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की गई हैं। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कुल 2,885 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। ...(**व्यवधान**)... अब तक स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के रूप में 1,157.99 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की विकास की जो गाड़ी है, वह निचले स्तर पर यहाँ के पूरे वासियों के लिए तेज गति से दौड़ती जा रही है, लेकिन पूरे देश और क्षेत्र के वासी जानते हैं कि केजरीवाल की गाड़ी जेल के दरवाजों के पास जाकर खड़ी है। जो घपले, घोटाले हैं, आम गरीब जनता को यहाँ जो * का काम किया जा रहा है, * बनाने का काम किया जा रहा है, यह अब चलने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर विकास की जो गाड़ी दौड़ी है, गरीब पहले कभी उम्मीद नहीं पालता था कि विकास हमारी चौखट तक पहुँचेगा, मोदी जी ने उन गरीब, मज़लूमों को चाहे शौचालय हो, गैस हो, आवास हो, बिजली हो, दवाई हो, नल से जल हो, घर बैठे - बिठाए उपलब्ध

* Expunged as ordered by the Chair.

कराने का काम किया है। पूरे देश के क्षेत्रों में जो योजनाएँ पहुँची हैं, वे सभी योजनाएँ इसी तरीके से इस दिल्ली क्षेत्र में भी पहुँची हैं। दिल्ली के अंदर मिशन में शामिल कुल नगर निकाय तीन, चिन्हित की गई परियोजनाएँ 66 करोड़ रुपये लागत की और जलाशयों के पुनर्जीवन के लिए, उनके कायाकल्प के लिए 99.35 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

माननीय सभापति जी, पहले चरण में 1.2 लाख नए जल आपूर्ति कनेक्शंस स्वीकृत, 6 लाख मौजूदा कनेक्शंस की मरम्मत एवं रख-रखाव किया जाएगा। पहले चरण में 58.925 नए सीवर कनेक्शंस स्वीकृत किए गए हैं। दिल्ली सरकार को 211.41 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ऐसी एक लम्बी श्रृंखला है। महोदय, 2,050.68 करोड़ रुपये की 56 परियोजनाओं की DPR स्वीकृत है, 1,638.15 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाओं के लिए EOI जारी की गई है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, ऐसी एक लम्बी श्रृंखला है, जो दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए, यहाँ की झुग्गी-झोपड़ियों के लिए जो तीन वर्ष का समय था, उसको बढ़ाने के लिए, जो ऐसे निर्माण थे, उनको तीन वर्ष बढ़ाने के लिए जो इस बिल में बात की गई है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... निश्चित रूप से इनके माध्यम से उनको स्थापित करने का काम होगा। सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Chairman, Sir, this Bill, basically, proposes to extend the facilities which had earlier been provided to *jhuggis* and unauthorized colonies against demolition. It is also proposed to extend the period up to 2026. What is so significant about the Bill, and for which I really compliment the hon. Minister, is the passing of the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorized Colonies) Act, 2019, and the Rules made subsequently.

Sir, this draws inspiration from a Peruvian economist, Mr. Hernando de Soto, who says that if you give property rights, only then, empowerment and development of not only the property but also of people will happen, and this has happened in this particular case.

So, what is also important is, following this principle, in Odisha, under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, we have enacted the Jaga Mission in which we are also giving property rights to slum-dwellers, and now it has covered almost all important slums in the entire State. This has resulted in not only the land being taken care of but also amenities which have been provided to the slum-dwellers for the development of city also being taken care of.

What is more significant in this Bill is that there is a Master Plan for 2041. The purpose of the current Bill is to extend it temporarily, so that all these factors will be taken into account while preparing the final Master Plan of 2041, so that the development of Delhi will be in an orderly fashion and all these unauthorized colonies

and *jhuggis* which have, probably, been suffering from lack of civic amenities will be addressed in the final Master Plan.

Thank you so much, Sir. I support the Bill wholeheartedly.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, I rise in favour of this Bill. There have been various provisions in this Bill which are beneficial, especially to the downtrodden and a segment of society which needs it the most. There have been a number of schemes consistently being enacted by the Central Government which helped them. I would like to enlist some of them. There have been 26 projects under AMRUT Yojana worth Rs. 675 cores. Out of these, 18 projects worth Rs. 381 crores have been completed. Physical works worth Rs. 587 crores have already been completed. An expenditure of Rs. 525 crores is incurred so far. Under AMRUT 2.0 Scheme, the total Central assistance allocated by the Central Government to the Government of Delhi is Rs. 2,885 crores. Out of this, admissible Central assistance till date is in excess of Rs. 1,157.99 crores.

Not only this, Sir, under SBM(U), a total of Rs. 216 crores has been released, out of a total allocation of Rs. 349 crores. This has really helped in the fundamental aspects of Delhi which is the capital city of the country. Sir, of the Rs. 10,554 TPD waste generated, 9,167 TPD waste which constitutes 92 per cent has already been processed. Three C&D waste processing facilities are operational with a capacity of 3,000 TPD. Nine material recovery facilities are also operational with capacity of about 51 TPD. Not only this, under the SBM(U) 2.0, a total of Rs. 1,192.6 crores has been allocated for solid waste management. Coming to toilet construction under the water management and capacity-building measures, out of this, so far, Rs. 410 crores have already been released.

Another very important segment, which has been a very intrinsical part of Delhi's development, is under the Deen Dayal Antyodaya Yojana -- the National Urban Livelihood Mission, which the Central Government has enacted and which is the need of the hour during the winter time as well -- 216 urban homeless shelters have been sanctioned, out of which 193 are functional and 23 are under construction. *...(Interruptions)...* This is an area which thinks about the most downtrodden and the people who needed the most at this point of time. There are 79,952 vendors who would be provided with Certificate of Vending (CoV), along with identity cards. Out of these, 56,422 street vendors have been issued CoVs. This is under the Deen Dayal Antyodaya Yojana. *...(Interruptions)...*

Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana has also been a game-changer for the city of Delhi. It is implemented through verticals, that is, beneficially-led construction

in the *in situ* slum redevelopment, affordable housing in partnership as centrally-sponsored scheme and credit-linked subsidy scheme as a Central scheme. ...*(Time-Bell rings)...*

Sir, the GNCTD has signed a Memorandum of Agreement (MoA) with the MoHUA to implement the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) in 2017 and it is progressing very well. ...*(Time-Bell rings.)...*

श्री अनिल बलूनी (उत्तराखंड) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत सरकार दिल्ली के विकास और कल्याण के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। वह अपने हिस्से का दिल्ली का विकास कार्य करने के लिए लगातार कार्यरत है। महोदय, सरकार के द्वारा दिल्ली का विकास और कल्याण करने के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के द्वारा कार्य किया जा रहा है, 'दीनदयाल अंत्योदय योजना' के द्वारा कार्य किया जा रहा है, 'अमृत-1' और 'अमृत-2' योजना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत काम किया जा रहा है, 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना' के द्वारा काम किया जा रहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार दिल्ली के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इसके विपरीत दिल्ली में एक ऐसी राज्य सरकार काम कर रही है, जो दिल्ली को लगातार * का काम कर रही है। महोदय, अगर कहीं से आंकड़ें निकाले जाएं या कोई सर्वेक्षण किया जाए कि कौन ऐसा मुख्य मंत्री है, जो अपने राज्य में सबसे कम रहता है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। दिल्ली के मुख्य मंत्री अपनी पार्टी के लिए देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं, उनके मन में जो प्रधान मंत्री बनने का ख्वाब है, उसके लिए लगे हुए हैं, लेकिन वे दिल्ली के कल्याण और दिल्ली के भले के लिए नहीं सोच रहे हैं।

महोदय, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमने कुछ आंकड़े देखे कि दिल्ली में पराली के लिए decomposer की जो योजना थी, दिल्ली सरकार ने उस पर 2 लाख रुपये लगाए, 23 लाख रुपये से decomposer को स्प्रे करने की योजना बनाई और उसके प्रचार-प्रसार में 16 करोड़ रुपये खर्च किए - इस तरह से दिल्ली की सरकार काम कर रही है।

महोदय, दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जिसके आधे से ज्यादा नेता देश भर में प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं और आधे लोग जेल के अंदर हैं। आधे लोग जेल के अंदर हैं और आधे लोग दिल्ली से बाहर हैं। किसी एक पार्टी को ऐसा मैन्डेट इतिहास में नहीं दिया गया। किसी पार्टी को देश में इस तरह का मैन्डेट मिला और उसने दिल्ली को इस तरह से * का काम किया।

महोदय, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। आप दिल्ली से कभी उत्तराखंड जाएंगे, तो मुज़फ्फरनगर में एक दुकान में ठग्गू के लड्डू मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह मिलते हैं,

---

* Expunged as ordered by the Chair.

वहां बहुत ही स्वादिष्ट ठग्गू के लड्डू मिलते हैं, जब भी मौका मिले तो सबको उसे खाने के लिए जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक ऐसी ही * काम कर रही है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी ही * जो दिल्ली के लोगों को केवल * बना रही है, विकास का कोई काम नहीं करती है, जिसने दिल्ली को लोगों के द्वारा दिए गए मैन्डेट को * का काम किया है। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग, दिल्ली की महान जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को जरूर उनका स्थान, उनकी जगह दिखाएगी। हमारी जो सरकार है, वह दिल्ली के लिए जितने कल्याणकारी कार्य हैं, दिल्ली के लिए जिस तरह से हमारा आज का संशोधन है, दिल्ली के गरीब लोगों के लिए...(**समय की घंटी**)...दिल्ली की जो अनधिकृत कालोनीज़ हैं, यह उनके विकास के काम करने के लिए है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. अनिल जैन ।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति महोदय, मैं The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : इलामारम जी, बाकी सब चले गए हैं। Please take your seat.

डा. अनिल जैन : महोदय, जब देश आज़ाद हुआ, तो दिल्ली की आबादी करीब आठ से दस लाख थी और बढ़ते-बढ़ते दिल्ली की आबादी ढाई करोड़ हो गई है। जिस प्रकार से दिल्ली में आबादी का बढ़ाव हुआ है, उस प्रकार से उतनी सुविधाएं दिल्ली में पहले की सरकारों ने मुहैया नहीं करवाईं और लोगों को अनधिकृत रूप से दिल्ली में रहना पड़ा, उन्होंने civic amenities भी नहीं बढ़ाईं और यहां commercial space की भी कमी रही, दिल्ली में हाउसिंग की भी डिमांड रही और इसके तहत slums and unauthorized colonies and constructions हुईं। इनके regularization की कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन झांसा देने का काम जरूर किया गया। चाहे शीला जी की सरकार हो, कई बार माननीय सोनिया गांधी जी से पत्र बंटवाए गए, लेकिन दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। दिल्ली की जो अनधिकृत कालोनीज़ थीं, उनको regularize करने का झांसा दिया गया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने पहली बार 2019 में अनधिकृत कालोनीज़ को अधिकृत करने का काम किया और 8 मार्च, 2022 को यह परिपत्र भी जारी किया।अब दिल्ली में 2041 का...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : अनिल जी, आप बोलिए।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

डा. अनिल जैन : सर, दिल्ली का फिर से एक नया मास्टरप्लान 2041 आ रहा है। उसमें समय लगने वाला है। उसमें डेवलपमेंट के लिए और उस समय को पूरा करने के लिए जो योजनाएं केन्द्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में लागू हुई थीं, उनको समय देने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ...(**समय की घंटी**)... 31 दिसंबर, 2023 तक जो punitive action से protection है, उस protection को 31 दिसंबर, 2026 तक extend करने का जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, जिससे दिल्लीवासी सुरक्षित रह सकें, संरक्षित रह सके और इस झांसेबाजी, चाहे कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो, इससे बचे रह सकें। हमारे साथी वक्ताओं ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, उनका लाभ दिल्लीवासियों को मिलेगा। दिल्ली में केवल दिल्ली के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग रहते हैं। यह देश की राजधानी है, इसलिए सारे एमपीज़ के कोई न कोई relative, समर्थक और वोटर्स दिल्ली में रहते हैं। इस बिल का सबको समर्थन करना चाहिए और दिल्लीवासियों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. M. Thambidurai. You have three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has brought this Bill to regularize and to help the slum dwellers of the city of Delhi. In the same way, if you go back to history, in 1967, when our Leader, Perarignar Anna, became the Chief Minister of Tamil Nadu, he brought the scheme of *Kudisai Matru Variam* to solve the slum dwellers' problems, especially, in Chennai. The goal of that scheme was to rehabilitate the slum dwellers. It was a model scheme in India showing what steps our party had taken to improve the condition of slum dwellers. After Perarignar Anna, in the same way, my Leaders, Puratchi Thalaivi Amma, Puratchi Thalaivi MGR and also Edappadi K. Palaniswami have taken a lot of steps to improve the conditions of slum dwellers. During their period, to solve whatever problems the slum-dwellers had not only in the city of Chennai but throughout Tamil Nadu, these Schemes were brought and they developed those areas. I hope, in the same way, the Government is coming forward; and I also request the Government to solve the slum-dwellers' problems. They have to come forward to help not only Delhi but let them come forward to help other State Capitals also, including Chennai and like that. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा (नामनिर्देशित) : सभापति महोदय, आज जिस बिल के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, उस बिल के महत्व को यदि विपक्ष पहचान पाता, जान पाता तो आज यह स्थिति नहीं रहती। ...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, मैं एक बात का जिक्र करता हूं, जो लोगों का दिल छू लेगी। इस दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या कितनी है, शायद विपक्ष को पता नहीं है। ...(**व्यवधान**)... भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की स्थापना की। ये स्ट्रीट वेंडर्स वे हैं, जो हजार, दो हजार रुपये के इन्वेस्टमेंट से अपने परिवार को चलाते हैं। आज 1,70,175 स्ट्रीट वेंडर्स को 198 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। दुनिया के इतिहास में यह पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कम्युनिस्ट, वामपंथी नारा देते हैं, जिनका वे सदियों तक शोषण करते रहे, जिनकी उन्होंने चिंता नहीं की। ...(**व्यवधान**)... मैं दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं अपने केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस दिल्ली में 1,371 unauthorized कालोनीज़ हैं, जिनमें 40 लाख गरीब लोग रहते हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। यह उनके स्वामित्व का सवाल था। वे गरीब लोग कमाये हुये पैसे से घर खरीदते थे, ज़मीन खरीदते थे, लेकिन उनको यह मालूम नहीं रहता था कि उनका स्वामित्व है या नहीं है। एक ही ज़मीन और एक ही घर की तीन-तीन रजिस्ट्री हो जाती थीं और गरीब लोग अपने पूरे जीवन की कमाई खो देते थे। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जो पीएम-उदय योजना लेकर आए, उस पीएम- उदय योजना में आज 20,000 लोगों को स्वामित्व मिल चुका है और लगभग एक लाख से अधिक लोगों ने उसके लिए एप्लाई किया है। आप उन लोगों की कल्पना कीजिए, जिनकी 40 साल की मेहनत – यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, मैं आम आदमी पार्टी की बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि शराब घोटाले के कारण दिल्ली की और हिंदुस्तान की जो छवि बनी है, उस छवि के लिए इस पार्टी की जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)...

इसी दिल्ली में लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं कि दिल्ली में दो समस्याएं रही हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसकी तुलना वॉशिंगटन से होती है, इसकी तुलना पेरिस से होती है, इसकी तुलना मेलबर्न से होती है और आपने दिल्ली को क्या बना रखा था? प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 28,48,000 जल के कनेक्शन्स मिले हैं। ...(**समय की घंटी**)... सभापति महोदय, मैं इस आंकड़े के साथ समाप्त कर रहा हूं। करीब 21, 45,000 सीवर के कनेक्शन्स मिले हैं। आप कल्पना कीजिए कि 28 लाख घरों में जल पहुंचाना, 21 लाख सीवर के कनेक्शन देना - हम दिल्ली को उस रूप में ले जाना चाहते हैं कि वॉशिंगटन से आने वाला व्यक्ति, मेलबर्न से आने वाला व्यक्ति दिल्ली को इस रूप में देखे कि यह एक समृद्ध देश की राजधानी है । ...(**समय की घंटी**)... मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वह काम किया है, जिस काम की कल्पना आपने 70 साल तक नहीं की थी।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kanta Kardam.

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं पहले तो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : यशस्वी प्रधान मंत्री ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कान्ता कर्दम : आप भी बोलना सीख जाओ, तो फायदे में रहोगे। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी कि वे इस महत्वपूर्ण बिल को गरीबों के लिए लेकर आए हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I think you can learn.There is scope for learning. *...(Interruptions)...* The way you ridicule the Chair कि authenticate *करो*, you will never learn. *...(Interruptions)...* I know. I know you will never learn. ..(*Interruptions*)... Go ahead, Madam. *...(Interruptions)...*

श्रीमती कान्ता कर्दम : वे गरीब रेहड़ी, पटरी वालों के हित के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. *...(Interruptions)...*

श्रीमती कान्ता कर्दम : इसमें ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ...(**व्यवधान**)... जिन परियोजनाओं से दिल्ली की जनता का उद्धार होगा और वहां पर रहने वाले गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। जो दिल्ली से बाहर के लोग काम-धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए दिल्ली में आते हैं और कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी झोपड़ियों को पक्का बनाने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। मैं हरदीप सिंह पुरी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि जितनी भी कच्ची झोपड़ियाँ हैं, उनके लिए पक्के मकान बनाकर देने का हमारा लक्ष्य है। मैं जानती हूँ कि हमारी केंद्र सरकार उस ओर किस तरह से बढ़ रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। ..(**समय की घंटी**).. मैं इस बात के लिए बधाई दूंगी कि दिल्ली से मेरठ तक भी बहुत विकास किया गया है। महोदय, क्योंकि इस बिल में इसका जिक्र है, इसलिए मैं भी इस बात का जिक्र कर रही हूं कि Developmental Work in Delhi by NCRTC and NCIEC, May, 2014.

महोदय, यह 2014 का प्लान था। दिल्ली से गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन, मेरठ से मोदीनगर तक 82.15 किलोमीटर लंबा है। केंद्र सरकार ने 7 मार्च, 2019 को इसकी मंजूरी दी थी ..(**समय की घंटी**) ..यह वर्तमान में निर्माणाधीन है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड का उद्घाटन अक्टूबर, 2023 में किया था।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Hardeep Singh Puri to reply to the discussion.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Mr. Chairman, Sir, I am deeply grateful to the hon. Members, eight of whom have expressed unreserved and unqualified support for the Bill. I am equally appreciative of those Members who, in spite of their presence here, have chosen to support the Bill without articulating that support.

Sir, I think the Bill, which is before the House, has a historical context and is living testimony, if any were required, to what happens to a great city if it is allowed to be subjected to neglect -- and I choose my words carefully, Mr. Chairman, Sir -- bordering on the criminal. The problems of Delhi did not start when the hon. Prime Minster, Shri Narendra Modi, assumed responsibility of governance of the country in May, 2014. Delhi is an ancient city. The land territory of Delhi, that is, the total land available in Delhi, was the same in 1947 as it is today while the population has gone up from seven or eight lakhs in 1947 to close to 2.5 crore today. The problems were visible even 20 years ago. It is the then Congress Government, which in 2006, facing action from the hon. Delhi High Court and the apex Court, the Supreme Court, decided to bring in legislation to provide protection for one year. These problems should have been attended to in 2006 and earlier, because the problem of large demographic shifts, large numbers of people coming from rural areas, semi-rural areas, tier-2 and tier-3 cities to Delhi, has been evident for so many years. The problem should have been addressed by the GNCDT, the Government of the National Capital Territory of Delhi, in 2006 or earlier, but was not addressed, and hence, one-year legislation was coming in from 2006 to 2011. In 2011, again, the problem should have been addressed, but a Bill was brought to provide this protection for three years.

Sir, when I had the privilege of being associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs -- I am talking of September, 2017 -- we were in active consultation with the hon. Chief Minister of Delhi and his colleagues and we were asking them, 'when will you complete the verification so that we can begin the process of identifying the encroachments, the unauthorized colonies and provide relief'. Sir, it is not the poor people who live there. They are poor because our policies were poor. A large number of people move from rural areas and tier-2 and tier-3 cities to Delhi. The city must be able to provide space for them and living habitation. I don't like to use the word 'slums'. I think it is a term which we should never use. These are informal settlements. But when people come looking for livelihood and they find space, they will have the tendency -- this is a phenomenon visible the world over -- to settle down wherever they have space and something like *jhugi jhopri* and the JJ clusters come into being. In 2017, after active consultation, we learnt that the Delhi Government, including the Chief Minister, was not entirely -- we came to that assessment -- seized with the situation. It is in 2019, we learnt, and they told us in writing, that they needed another two years to complete the verification process. It is at that point of time that the hon. Prime Minister decided to bring in the legislation into

Parliament. Therefore, in 2019, this legislation came. I remember the day very vividly because my daughter was getting married and instead of attending my daughter's marriage, I was in the House presenting the Bill in the Lok Sabha. Under that, we have, today, put in place a system which has identified the unauthorised colonies. Some of my colleagues will say that there are some 69 belonging to a HNIs or High Net Worth Individuals. But we have, on record, said that we will complete this work sequentially and then we will move on to the other. Another reason why this extension is required for three years is that the Master Plan - 2041 is in the final stages and the Master Plan will require the agencies concerned, the DDA and the MCD, to be able to manage the changes which are coming in on a variety of subjects which were covered by the Master Plan and which have had the widespread consultation to produce an orderly transition. It will be our effort that in the next three years we will be able to complete a substantial portion of that because the verification has been done. The legislation came into being in 2019 end and in the beginning of 2020, we were facing the pandemic. In the pandemic, during 2020-21, virtually, no ground level work could be done. Today we have registered four lakh households. There are about forty lakhs people living in these unauthorised colonies. If an average household has four, then, we have to register about eight to ten lakh households. We have already done four lakhs and we need to do more and we need to expedite the transition. The hon. Members, who have spoken today, have given us a lot of useful suggestions. All of them have been taken on board. I can say with a degree of confidence that what Dr. Thambidurai has said and what other Members have said have already been incorporated in the Master Plan and we are, today, in the happy situation of being able to say that the work and the identification is gaining pace and it will be our effort to do more. I thank all my colleagues in the opposition. I would have liked the participation of Members of the two Parties which should have addressed the problem but did not address the problem. They are here today. I want them to join in this effort to make up for the lost time, so that the orderly transition which is required to be obtained will be done. I thank the House for the support.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Hardeep Singh Puri to move that the Bill be passed.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: About Division, you must know the elementary rules. You call for a Division from your seat. And, you have been standing here as if you are in a garden. *...(Interruptions)...* No; you are enjoying your stay. Don't treat it as a garden. Motion moved that the Bill be passed. The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I have one small observation. सर, दिल्ली का इतना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, दिल्ली के लोगों के लिए आज इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे बड़े भाई हरदीप सिंह पुरी जी ने आज यहां पारित करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य हाउस में होने के बावजूद इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह है, दिल्ली के लोगों के लिए इनकी संवेदना! कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, झुग्गी-झोपड़ी के लिए कोई जगह नहीं है, anti-poor और anti-पिछड़ा वर्ग जो इनकी mentality है, यह बार-बार उसको दर्शाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसमें साथ में हैं। इंडी, घमंडिया गठबंधन का सही चेहरा यही है। आज इस पर बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। मैं भी देख रहा था कि सभी टीवी चैनल्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्यों ने हमारे सदन का अपमान किया है, ...(**व्यवधान**)... हमारे नेता का अपमान किया है, हमारे चेयरमैन का अपमान किया है, ...(**व्यवधान**)... इस सदन के लीडर के रूप में आज चेयरमैन हम सबका संरक्षण करते हैं। ...(**व्यवधान**)... पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यहां कांग्रेस के एक बैठे हुए जाट नेता ने आपका अपमान होने पर भी निंदा नहीं की है। ...(**व्यवधान**)... यह है कांग्रेस का चेहरा, यह है कांग्रेस का जाट चेहरा, यह है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सही रूप।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Wednesday, the 20th December, 2023.

The House then adjourned at forty-three minutes past five of the clock, till eleven of the clock on Wednesday, the 20th December, 2023.